कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016

एपीडा में अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को पैनलबद्ध करने हेतु आवेदनों का आमंत्रण

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), एक स्वायत्त संगठन है जिसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम , 1985 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। एपीडा की स्थापना कुछ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के विकास और संवर्धन और उससे जुड़े मामलों के लिए की गई है। एपीडा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया एपीडा की आधिकारिक वेबसाइट: https://apeda.gov.in// पर जाएं।

एपीडा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायाधिकरण और कानून के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बौद्धिक संपदा कानून, अनुबंध कानून, श्रम और रोजगार कानून, मध्यस्थता, कॉर्पोरेट कानून और सांविधिक कानून से संबंधित एपीडा के मामलों को संभालने के लिए अनुबंध के आधार पर पात्र अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को पैनल में रखने पर विचार किया जा रहा है। इस नोटिस में एपीडा के पैनलबद्ध दिशानिर्देशों जैसे कि पात्रता मानदंड, पैनल में शामिल होने का कार्यकाल और पैनल में शामिल अधिवक्ताओं/विधि फर्मों पर लागू सामान्य नियम और शर्तें निहित है।

अधिवक्ताओं/विधि जो वर्तमान में एपीडा में मौजूदा पैनल में हैं, उन्हें इस नोटिस में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार नए सिरे से आवेदन करना होगा क्योंकि वे नए पैनल को अंतिम रूप देने के बाद एपीडा के पैनल में नहीं रहेंगे, लेकिन अगले निर्देश तक उन्हें पहले से आवंटित मौजूदा/चिह्नित मामलों को हैंडल करना होगा।

टिप्पणी: यह नोटिस दिनांक 04.02.2022 को राष्ट्रीय समाचार पत्रों, अर्थात् 'द इकोनॉमिक टाइम्स' और 'नवभारत टाइम्स', और एपीडा की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित पूर्व के नोटिस ("एपीडा में कानूनी सेवाओं के लिए ऐड्वोकट/कानूनी फर्मों के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना") का स्थान लेता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पिछला नोटिस दिनांक 04.02.2022 वापस लिया गया और उसे रद्द कर दिया गया है।

<u>एपीडा का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को पैनलबद्ध करने हेतु दिशानिर्देश</u>

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य एपीडा में अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया को विनियमित करना है।

1. <u>परिभाषाएं</u>

(i) "अधिवक्ता" से अभिप्राय अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिवक्ता की किसी भी भूमिका में शामिल होना है।

(ii) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय अध्यक्ष एपीडा द्वारा नामित अध्यक्ष एपीडा या कोई अन्य अधिकारी होगा।

(iii) "न्यायालय" से अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायाधिकरण, आयोग, प्राधिकरण आदि सहित सभी कानूनी न्यायालय है।

(iv) "प्रभावी सुनवाई" से अभिप्राय ऐसी सुनवाई से है जिसमें किसी मामले में शामिल एक या दोनों पक्षों को न्यायालयों द्वारा सुना जाता है। यदि मामले का उल्लेख किया जाता है और इसे स्थगित कर दिया जाता है या केवल निर्देश दिए जाते हैं या न्यायालय द्वारा केवल निर्णय सुनाया जाता है, तो यह प्रभावी सुनवाई नहीं होगी बल्कि इसे गैर-प्रभावी सुनवाई कहा जाएगा।[1]

(v) "समान मामलों" से अभिप्राय दो या दो से अधिक मामले होंगे जिनमें कानून या तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हों और जहां मुख्य अंतर संबंधित पक्षों के नाम, पते, शामिल धन राशि आदि में हो और जहां सामान्य या समान निर्णय हों इस तथ्य की परवाह किए बिना कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होती है या नहीं, वितरित किया जाता है।[2]

2. <u>पात्रता मानदण्ड</u>

(i) अधिवक्ता के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान से कानून में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए

(ii) अधिवक्ता को भारत में स्टेट बार काउंसिल में नामांकित होना चाहिए।

(iii) अधिवक्ता को एक या एक से अधिक केंद्र/राज्य सरकार/मंत्रालय/विभाग/ स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/स्थानीय निकाय/सांविधिक प्राधिकरण के पैनल में होना चाहिए।

(iv) अधिवक्ता को कानून की विभिन्न शाखाओं से परिचित होना चाहिए, विशेष रूप से

---

[1] विधि, न्याय और विधि कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 18.03.2008 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई परिभाषा के आधार पर।

[2] विधि, न्याय और विधि कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 18.03.2008 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई परिभाषा के आधार पर।

सांविधिक/सेवा कानून, श्रम कानून, अनुबंध कानून, वाणिज्यिक कानून, संपत्ति कानून, मध्यस्थता और कराधान से संबंधित नियामक मामलों के कानूनों से संबंधित।

(v) अधिवक्ता के पास प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता के रूप में कम से कम पांच (5) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विधि फर्म के मामले में, फर्म के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता /साझेदार/सहयोगी के पास प्रैक्टिसिंग वकील के रूप में कम से कम दस (10) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(vi) अधिवक्ता के पास मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त सेटअप/अवसंरचना (जैसे पुस्तकालय और लिपिक कर्मचारियों के साथ कार्यालय) होना चाहिए।

(vii) अधिवक्ता के पास उत्कृष्ट संचार कौशल होना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से लिखने और धाराप्रवाह बोलने की क्षमता भी शामिल है।

(viii) अधिवक्ता को वर्तमान में संबंधित क्षेत्रों में अभ्यास करना चाहिए।

(ix) अधिवक्ता को पिछले 2 (दो) वित्तीय वर्षों के लिए दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) की प्रतियां प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

(x) असाधारण उम्मीदवारों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी के पास उपरोक्त पात्रता मानदंडों में से किसी में भी छूट देने का विवेकाधिकार है।

(xi) विधि फर्मों को पैनलबद्ध करने के मामले में, व्यक्तिगत अधिवक्ताओं को पैनलबद्ध करने के लिए पात्रता मानदंड यथोचित परिवर्तनों सहित उन पर लागू होंगे।

3. <u>पैनलबद्धता अवधि</u>

i. चुने गए अधिवक्ता/विधि फर्मों को आरंभ में दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पैनलबद्ध किया जाएगा।

ii. पैनलबद्ध अधिवक्ताओं/ विधि फर्मों की सेवाएं अनुलग्नक 'ग' में शुल्क अनुसूची के अनुसार मामले-दर-मामले आधार पर ली जाएंगी।

iii. पैनलबद्ध अधिवक्ता/विधि फर्मों के कार्य-निष्पादन की सक्षम प्राधिकरण द्वारा वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी।

iv. एपीडा के पास किसी अधिवक्ता/विधि फर्मों फर्म के पैनल को नवीनीकृत करने का विवेकाधिकार है, बशर्ते ऐसे अधिवक्ता/विधि फर्मों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक हो।

v. एपीडा किसी भी समय किसी भी अधिवक्ता/विधि फर्म के पैनल को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. पैनलबद्ध अधिवक्ताओं/विधि फर्मों पर लागू सामान्य नियम और शर्तें

(i) अधिवक्ता को केवल उन्हीं मामलों में नियुक्त किया जाएगा जहां एपीडा एक आवश्यक पक्ष है।

(ii) जहां एपीडा किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में एक प्रो फोर्मा पक्ष है, वहां एपीडा के अधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान दिया जा सकता है।

(iii) अधिवक्ता को किसी विशिष्ट न्यायालय के लिए पैनलबद्ध नहीं किया जाएगा।

(iv) बिना किसी उचित कारण के, अधिवक्ता किसी भी कार्य को स्वीकार करने से इंकार नहीं करेगा।

(v) अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हें सौंपे गए मामलों को किसी को सौंपे बिना, स्वयं मामलों का निपटान करें।

(vi) अधिवक्ता मामले में शामिल नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं, यदि कोई हो, के साथ समन्वय और कार्य करेगा।

(vii) यथा अपेक्षित अधिवक्ता एपीडा के अधिकारियों के साथ समन्वय और कार्य करेंगे।

(viii) अधिवक्ता को एपीडा का कर्मचारी/कर्मचारी सदस्य/अधिकारी नहीं माना जाता है और इसलिए वह एपीडा के कर्मचारियों को उपलब्ध किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

(ix) अधिवक्ता एपीडा के कानूनी मामलों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा।

(x) अधिवक्ता एपीडा की लिखित अनुमति के बिना अपने व्यवसाय के संबंध में या अन्यथा एपीडा के नाम, चिह्न या आधिकारिक मुहर , या एपीडा के नाम के किसी भी संक्षेप का उपयोग नहीं करेगा।

(xi) अधिवक्ता को निजी अभ्यास का अधिकार इस शर्त पर होगा, यदि उन अभ्यासों के द्वारा एपीडा के पैनलबद्ध अधिवक्ता के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में हस्तक्षेप न हो।

(xii) निम्नलिखित के मामले में एक अधिवक्ता का पैनल रद्द कर दिया जाएगा:

क. पैनलबद्धता के लिए आवेदन में गलत जानकारी देना;

ख. एपीडा की पूर्व लिखित अनुमति के बिना एपीडा के किसी भी मामले की जानकारी किसी अन्य अधिवक्ता के साथ साझा करना;

ग. बिना किसी पर्याप्त कारण और/या पूर्व सूचना के मामले की सुनवाई में उपस्थित न होना;

घ. मांगे जाने पर संक्षिप्त विवरण नहीं लौटाना या मांगे जाने पर निरीक्षण की अनुमति देने से बचना या टालना;

ङ. एपीडा की अनुमति के बिना शुल्क के लिए एपीडा के फंड्स का दुरुपयोग या निर्धारण करना;

च. एपीडा के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या प्रतिनिधि को धमकाना, डराना या दुर्व्यवहार करना;

छ. एपीडा से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी विरोधी पक्ष की ओर से अपने किसी सहयोगी या कनिष्ठ को उपस्थित करना;

ज. ऐसा कार्य करना जो न्यायालय की अवमानना या पेशेवर कदाचार के समान हो;

झ. किसी भी अपराध में अधिवक्ता का दोष सिद्ध होने के परिणामस्वरूप बार काउंसिल द्वारा गिरफ्तारी या नजरबंदी या रोक लगाए जाने की स्थिति;

ञ. एपीडा के मामले से संबंधित सूचना विरोधी पक्षों या उनके अधिवक्ता या किसी तीसरे पक्ष को देना जिससे एपीडा के हितों को नुकसान होने की संभावना है;

ट. एपीडा को मामले की कार्यवाही के संबंध में झूठी या भ्रामक जानकारी देना;

ठ. बार-बार स्थगन की मांग करना या बिना पर्याप्त कारण के दूसरे पक्ष द्वारा किए गए स्थगन पर आपत्ति न करना; और

ड. किसी भी पार्टी को सलाह देना या एपीडा के विरुद्ध किसी मामले को स्वीकार करना।

(xiii) यदि आवश्यक हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा जाए , तो भारत के महान्यायवादी/भारत के सॉलिसिटर-जनरल/एडिशनल सॉलिसिटर जनरल/महाधिवक्ता/नामित वरिष्ठ अधिवक्ता को एपीडा की ओर से मामलों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है। हालाँकि ऐसी नियुक्ति के लिए शुल्क प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है, अन्य सभी नियम और शर्तें ऐसे व्यक्तियों पर लागू होंगी।

(xiv) विधि फर्मों को पैनलबद्ध करने के मामले में, व्यक्तिगत अधिवक्ताओं की पैनलबद्धता के लिए सभी नियम और शर्तें यथोचित परिवर्तनों के साथ उन पर लागू होंगी।

5. <u>शुल्क का भुगतान और अन्य शर्तें</u>

(i) पैनल में शामिल अधिवक्ता/विधि फर्म की सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान अनुलग्नक 'ग' में दी गई शुल्क अनुसूची के अनुसार होगा।

(ii) शुल्क अनुसूची, हालांकि, एपीडा द्वारा आवश्यक समझे जाने पर संशोधित की जा सकती है।

(iii) अधिवक्ता/ विधि फर्म द्वारा किए गए किसी भी अन्य खर्च की प्रतिपूर्ति सहायक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर वास्तविक आधार पर की जाएगी।

(iv) अधिवक्ता/विधि फर्म को उस मामले के परिणाम के संबंध में कानूनी राय प्रदान करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा जहां उक्त अधिवक्ता/विधि फर्म ने एपीडा का प्रतिनिधित्व किया है।

(v) सक्षम प्राधिकारी को विशेष मामलों में अधिवक्ता द्वारा मामले में किए गए प्रयासों और मामले के महत्व और श्रम को ध्यान में रखते हुए संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शुल्क से अधिक शुल्क के भुगतान को मंजूरी देने का अधिकार होगा।

6. <u>आवेदन जमा करना</u>

i. आवेदन निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक 'क' में दिया गया है) में मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किए जाएंगे जिस पर <**एपीडा में अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को पैनलबद्ध करने के लिए आवेदन**> लिखा हो।

ii. विधिवत हस्ताक्षरित संलग्नकों के साथ आवेदन वाला मुहरबंद लिफाफा नीचे उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक डाक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए या व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाना चाहिए:

सचिव, एपीडा
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016

iii. आवेदन की अंतिम तिथि **18.4.2024, शाम 5:00 बजे** है।

7. <u>आवेदन के साथ जमा करने वाले आवश्यक दस्तावेज</u>

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करना आवश्यक है:

क. राज्य बार काउंसिल के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र (विधि फर्म के मामले में भागीदारों/सहयोगियों का)

ख. संभाले गए प्रमुख मामलों के विवरण के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र

ग. अन्य संगठनों द्वारा जारी पैनलबद्ध पत्र(पत्रों) की प्रतियां

घ. पिछले दो वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न

ङ. यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य सहायक दस्तावेज़

8. <u>आवेदन जमा करने के बाद की प्रक्रिया:</u>

i. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii. डाक विलंब या बीच में छुट्टियों सहित किसी भी कारण से आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्राप्त न होने के लिए एपीडा जिम्मेदार नहीं है।

iii. आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों की जांच एपीडा द्वारा की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आवेदन पूर्ण हैं या नहीं और क्या वे इस नोटिस में उल्लिखित आवश्यकताओं (इसके बाद के संशोधनों सहित, यदि कोई हो) को पूरा करते हैं।

iv. जांच करने पर, यदि कोई भी आवेदन अधूरा पाया जाएगा या इस नोटिस में प्रासंगिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल पाया जाएगा तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

v. यदि आवश्यक समझा जाए तो एपीडा के पास पैनलबद्ध होने की किसी भी आवश्यकता में छूट/छूट देने का अधिकार सुरक्षित है।

vi. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों का मूल्यांकन अनुलग्नक 'ख' में दिए गए स्कोरिंग पैटर्न के आधार पर किया जाएगा।

vii. शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को एपीडा की चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत वार्ता या प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

viii. चयन प्रक्रिया के दौरान, एपीडा आवेदक के बारे में संबंधित बार काउंसिल से पूछताछ कर सकता है।

ix. चयन प्रक्रिया के दौरान, एपीडा उन संगठनों से भी परामर्श कर सकता है जिनके साथ आवेदक वर्तमान में पैनलबद्ध है या जिनके साथ आवेदक पूर्व में पैनलबद्ध है।

x. यह तय करते समय कि किसे पैनलबद्ध किया जाए, उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है जिनके पास सरकारी विभागों के मामलों को संभालने का पूर्व अनुभव है।

xi. एपीडा बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xii. एपीडा आवश्यकता और कार्य की मात्रा के आधार पर समय-समय पर पैनल का आकार निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xiii. एपीडा में पैनलबद्ध होने के लिए आवेदन करने से कोई अधिकार/आश्वासन नहीं मिलता है कि आवेदक को एपीडा के साथ पैनलबद्ध किया जाएगा।

xiv. एक बार जब एपीडा किसी आवेदक को पैनलबद्ध करने का निर्णय लेता है, तो वह निर्णय को लिखित रूप में सूचित करेगा। आवेदक संचार को स्वीकार करेगा। एपीडा द्वारा लिखित रूप में आवेदक की स्वीकृति (पैनलबद्ध होने के लिए) प्राप्त होने के बाद ही पैनलबद्धता पूर्ण मानी जाएगी।

xv. आवेदक की ओर से चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

xvi. यदि किसी दिशानिर्देश की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह/कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसे अध्यक्ष, एपीडा के समक्ष रखा जाएगा और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

xvii. पैनलबद्धता प्रक्रिया के संबंध में विवाद, यदि कोई हो, नई दिल्ली की न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

अनुलग्नक 'क'

आवेदन प्रपत्र

क्र. सं.	**विवरण**	
1	अधिवक्ता/विधि फर्म का नाम (अधिकृत व्यक्ति के नाम के साथ)	
2	सक्रिय भागीदारों/सहयोगियों का नाम (विधि फर्म के मामले में)	
3	राष्ट्रीयता	
4	कार्यालय पता	
5	फोन नंबर	
6	ई-मेल आईडी	
7	नामांकन सं. और बार काउंसिल का नाम **(प्रत्येक अधिवक्ता के नामांकन/पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)**	
8	कानूनी फर्म के मामले में , कानूनी फर्म की स्थापना/गठन की तिथि: **(दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण संलग्न करें**)	
9	अधिवक्ता/विधि फर्म का पैन नं.	
10	जीएसटी पंजीकरण सं., (यदि लागू हो)	
11	अनुभव/विशेषज्ञता का विवरण **(सहायक दस्तावेज संलग्न करें)**	

12	न्यायालय जहां अधिवक्ता/विधि फर्म नियमित रूप से प्रेक्टिस कर रहे हैं क) प्रेक्टिस की अवधि ख) प्रेक्टिस का क्षेत्र	
13	वे संगठन जिनके साथ आवेदक वर्तमान में पैनलबद्ध है (विशेषकर सरकारी संगठन/पीएसयू/आयोग/स्वायत्त प्राधिकरण) (**दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
14	पिछले 2 वित्तीय वर्षों का आईटीआर (**दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**	
15	प्रेक्टिस के प्रासंगिक क्षेत्र में हैंडल किए जाने वाले मामलों की संख्या	
16	क्या आपको कभी किसी कानून के तहत दोषी ठहराया गया है ? (अगर हां तो कृपया विवरण दें)	
17	क्या आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है (यदि हां, तो उसका विवरण दें)	
18	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न की जा सकती है)	

<u>घोषणा</u>

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य है और कुछ भी गोपनीय नहीं रखा गया है। मुझे/हमें किसी भी बार काउंसिल द्वारा किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में कभी दंडित नहीं किया गया है। मैं/हम इस नोटिस में उल्लिखित सामान्य नियमों और शर्तों और अन्य शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। मैं/हम एपीडा द्वारा सौंपे गए कार्य के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का भी वचन देते हैं। इसके अतिरिक्त, मैं/हम यह भी समझते हैं कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मैंने/हमने किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया/तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है या एपीडा के हित के विरुद्ध कोई कार्य या चूक की है, तो मेरे/हमारे अनुबंध को बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा।

अधिवक्ता के हस्ताक्षर
(विधि फर्म के मामले में भागीदार के हस्ताक्षर)

स्थान:
दिनांक:
ई-मेल आईडी:
पता:
टेलीफोन नं.:
मोबाइल नं.:

अनुलग्नक 'ख'

<u>स्कोरिंग पैटर्न</u>

क्र.सं.	पैरामीटर	स्कोर	अधिकतम अंक
1	**व्यक्तिगत वार्ता/प्रस्तुति**	30	30
2	**मुकदमें का अनुभव**		
	5 वर्ष से 7 वर्ष तक (फर्म के वरिष्ठतम अधिवक्ता/साझेदार/सहयोगी के मामले में 10 वर्ष से 12 वर्ष)	10	20
	7 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम (फर्म के वरिष्ठतम अधिवक्ता/साझेदार/सहयोगी के मामले में 12 वर्ष से अधिक परंतु 15 वर्ष से कम)	15	
	10 वर्ष या इससे अधिक (फर्म के वरिष्ठतम अधिवक्ता/साझेदार/सहयोगी के मामले में 15 वर्ष या इससे अधिक)	20	
3	**वर्तमान पैनलबद्धता**		
	1 से 2 संगठन	10	20
	3 से 5 संगठन	15	
	5 से अधिक संगठन	20	
4	**पिछले 2 वर्षों के आईटीआर के अनुसार औसत वार्षिक आय**		
	10 से 15 लाख	20	30
	15 लाख से अधिक लेकिन 20 लाख से कम	25	
	20 लाख या इससे अधिक	30	
	कुल अंक		**100**

अनुलग्नक 'ग'

शुल्क अनुसूची

क. सर्वोच्च न्यायालय में मामले

क्र. सं.	कार्य-मदें	शुल्क
1	सभी नियमित अपील और प्रतिवादी रिट याचिका (अंतिम सुनवाई के लिए)	9000/- रु. प्रति मामला प्रति दिन
2	सभी प्रतिवादी प्रवेश मामले (एसएलपी/टीपी और रिट याचिका और प्रवेश के लिए अन्य विविध मामले)	4500/- रु. प्रति मामला प्रति दिन
3	एसएलपी/प्रति शपथ पत्र/प्रत्युत्तर आदि का मसौदा तैयार करना	3000/- रु. प्रति मामला
4	लिखित प्रस्तुतियों का मसौदा तैयार करना	3000/- रु. प्रति मामला
5	विविध आवेदनों का मसौदा तैयार करना या उसका प्रकटीकरण (मामले का उल्लेख/कैविएट/क्लीयरेंस/संख्या प्राप्त करना और सुनवाई के लिए तारीख लेने सहित)	3000/- रु. प्रति मामला

ख. उच्च न्यायालय में मामले

क्र. सं.	कार्य-मदें	शुल्क
1	रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए मौखिक आवेदन सहित वाद, रिट याचिका और	प्रभावी सुनवाई के 9000/- रु. प्रति मामला प्रति दिन अप्रभावी सुनवाई के मामले में, अधिकतम

	अपीलें	पांच सुनवाई के अधीन 1500/- रु. प्रति दिन
2	रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन	3000/- रु. प्रति मामला
3	दलीलों का निपटारा करना	3000/- रु. प्रति मामला
4	विविध आवेदन	3000/- रु. प्रति मामला
5	सम्मेलन	900/- रु. प्रति सम्मेलन, बशर्ते: (i) दलीलों के निपटारे के लिए - एक सम्मेलन (ii) रिट मामलों, वाद, अपीलों और सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश आवेदनों आदि की सुनवाई के संबंध में - तीन सम्मेलन (अधिकतम)

ग. <u>जिला न्यायालय/अन्य मंच के मामले</u>

क्र. सं.	**कार्य-मदें**	**शुल्क**
1	प्रभावी सुनवाई के लिए शुल्क	1800/- रु. प्रति दिन
2	अप्रभावी सुनवाई के लिए शुल्क	600/- रु. प्रति दिन (मामले में ऐसी 5 से अधिक सुनवाई नहीं)
3	लिखित बयान का मसौदा तैयार करने के लिए शुल्क, अपील के आधार आदि।	1500/- रु. प्रति दलील
4	विविध प्रकृति की अन्य याचिकाओं का मसौदा तैयार करने के लिए शुल्क	600/- रु. प्रति दलील

5	प्रति सम्मेलन शुल्क	900/- रु. (मामले/समान मामलों के समूह में अधिकतम 5 ऐसे सम्मेलनों के अधीन)
6	होटल में ठहरने का खर्च	1800/- रु. प्रति दिन
7	समान मामलों के लिए शुल्क	पहले मामले में पूरा शुल्क और संबंधित मामलों के लिए 750/- रु. प्रति वाद (अधिकतम 3 मामले)

टिप्पणी: यदि किसी कार्य के लिए शुल्क अनुलग्नक 'ग' में शुल्क अनुसूची में शामिल नहीं है, तो दरें भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, न्यायिक अनुभाग द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार लागू होंगी।

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।